

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद

(नगर निवेशन विभाग)

पत्रांक JP 509
सेवा में,

दिनांक 14/6/10

श्री मती मोना सिंह पति श्री रामाशकर सिंह,

गौधीनगर, धनबाद ।

विषय: मौजा धनबाद नं० 51 के खता नं० 22 प्लॉट नं० 2258, 2259, 2260

पर भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु आपका आवेदन दिनांक 14.5.10 गृह प्लान केश नं. बीडी - 136/10-11

महाशय,

10.6.10

निदेशानुसार सूचीत करना है कि उपर्युक्त विषय वर्णित भूखंड पर गृह निर्माण की दिनांक को स्वीकृति अधोलिखित शर्तों के साथ प्राधिकार अधिनियम की धारा 30 (II) के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रदान की गयी है:

1. प्रस्तावित भवन का निर्माण प्रारम्भ करने के एक सप्ताह पूर्व संलग्न प्रपत्र VII को भरकर अधोहस्ताक्षरी को देना है।
2. प्रस्तावित गृह का निर्माण कार्य अनुज्ञप्तिधारी की देख रेख में करायी जाय ताकि वे समय-समय पर निर्माण से सम्बन्धित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दे सकें।
3. प्रस्तावित गृह का निर्माण इस पत्र की प्राप्ति के दो वर्षों के अन्दर पूरा कर उसकी सूचना कार्यालय को अवश्य दें।
4. गृह निर्माण पूर्ण रूपेण स्वीकृत नक्शों के अनुसार ही करना है।
5. ड्रेनेज की व्यवस्था स्वीकृत नक्शों के अनुरूप करायी जाय। एवं नाली को मुख्य नाली से मिलावें।
6. गृह निर्माण का निरीक्षण प्राधिकार नगर निवेशन विभाग के किसी भी प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय दिन में किया जा सकता है तथा नक्शों के प्रतिकूल पाये गये निर्माण को नियमानुसार तोड़वाया जा सकता है।
7. वाटर हारवेस्टिंग हेतु सौक पिट का निर्माण करावें।
8. पर्यावरण सुरक्षा हेतु तीन वृक्ष लगावें।

अनुलग्नक स्वीकृत नक्शों की एक प्रति

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता

नगर निवेशन, माडा, धनबाद ।

14/6/10

14/6/10

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक - T.P. 255 / न० नि०

सेवा में,

श्री उषा यादव पिता-स्व० श्री ताराम यादव,
पिता - अहमदुद्दीन पिता-मो० गन्तार सिन्हा,
प्रार - श्री कन्हैया लाल गुप्ता पिता-श्री नन्दलाल गुप्ता एवं
श्री अशोक को यादव आराम मुख्तार पिता-श्री डिप्टी यादव,
ज्यांति झोपड़ी कल, दुर्गा मन्दिर रोड, हीरापुर, धनबाद।
धनबाद, दिनांक 11/6/12

विषय:- आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश न०
बी० डी० - 30/12.13 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 13.4.12 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या 8936, 10946 दाखिल खारिज आलेख संख्या 1387, 11, 10-11,
जमाबंदी संख्या 4769, 4789 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 11-12, की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र
एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत
आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी० डी० केश न० 30/12.13 के नक्शे की स्वीकृति
प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि हीरापुर मौजा अन्तर्गत खाता न० 80, 05 प्लॉट
न० 1099, 1002 रकबा 1.1.60.12.90 भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता
श्री कमल लखन की देख रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी
उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित
जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा
सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय समय पर कराना सुनिश्चित
करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियम के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा,
स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के
लिये किया जा सकेगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य
सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

नगर निवेशक/तकनीकी सदस्य

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार

धनबाद।

11/6/12
11/6/12

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक:- 1096 / न०नि०

सेवा में,

श्री तदीप कुमार साहा पिता- परेश चन्द्र साहा एवं
~~श्री~~ श्री अशोक कुमार साहू । आम मुख्तार।
~~श्री~~ पिता- श्री दिपुती साहू,
हीरापुर, धनबाद ।

धनबाद, दिनांक:- 09/11/15

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं० बी०डी०- 655/14-15
संबंधी आपके आवेदन दिनांक-22.12.14 के संबंध में।


महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या- 5909 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या- 737/11/2004-05
जमाबंदी संख्या- 3343 से निर्गत लागान रसीद वर्ष- 13-14 की अनिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं
Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/
व्यवसायिक/ औद्योगिक/ संस्थागत भवन संबंधी बी०डी० केश नं०- 655/14-15 के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक,
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि प्लॉट- 06 मौजा अन्तर्गत खाता नं०- 83
प्लॉट नं०- 1373 रकबा 5668.63 वर्गफिट भूमि पर स्वीकृत नक्शे के
अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री अजय कुमार केशरी की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में
अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 (दो) वर्षों में कार्य पूर्ण कर
अभिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने को लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के वगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा,
बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर कराना सुनिश्चित
करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।
नाडा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/ व्यवसायिक/ औद्योगिक/ संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व,
अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।
जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा
सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भुस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।
जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य
सरकार/ नेशनल वॉल्टिडिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होंगे।
आवेदक द्वारा उपकर के मद में 25% कुल रू० 34000/- जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा
सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।


साहचर्य, नगर निवेशक,

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,
धनबाद।
09/11/15